RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-02
Issue-11
November-2017

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com

भारत में ध्वनि प्रदूषण का मानव तथा पर्यावरण पर प्रभाव

डॉ0 राज कुमार

सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, विधि संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

विश्व के विकसित राष्ट्रों की भांति भारत में भी अधिकतर महानगरों में तेजी के साथ बढ़ रही जनसंख्या के कारण परिवहन मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ रहा है। भारतीय महानगरों में कारखानों का केंद्रीयकरण बढ़ता जा रहा है। ध्वनि प्रदूषण औद्योगिक प्रगति एवं आधुनिक सभ्यता का ही परिणाम है। भिन्न–भिन्न कल–कारखानों में प्रयुक्त मशीनों तथा मानव द्वारा अपनी सुख सुविधा हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के यंत्र शोर का कारण बन गए हैं। मोटर गाड़ियों के हार्न, रेल गाड़ियों की सीटियां, कल–कारखानों के मशीनों की खट–पट, टाइपराइटर की खट–पट, टेलीफोन की घंटी की टन–टन, मोबाइल से उत्पन्न ध्वनि, लाउडस्पीकरों की गूंजती हुई कर्णभेदी आवाजें, बैण्ड बाजों की उबाऊ धुनें, फुल वॉल्यूम पर बज रहे रेडियो एवं टेलीविजन, जवाबी कीर्तन, जागरण, इन्कलाब–जिन्दाबाद के नारे आदि ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। ऐसा नहीं कि इन सभी चीजों के आविष्कार के पूर्व शोर बिल्कुल भी नहीं था। बिजली एवं बादलों की गड़गड़ाहट तूफानी हवाओं से भी शोर होता है परन्तु वह इतना घातक नहीं होता है। कोई भी ध्वनि जब मन्द होती है तो मधुर लगती है और जब तीव्र होती है तो शोर। अतः ऐसी प्रत्येक ध्वनि जो अवांछित हो, शोर होगी। पर्याप्त ऐसी प्रत्येक ध्वनि जब मानसिक क्रियाओं में जब विघ्न उत्पन्न करने लगती है तो शोर के अन्तर्गत आती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शोर वह ध्वनि है जिसके द्वारा मनुष्य के अन्दर अशांति व बेचैनी उत्पन्न होती है। शोर एक अवांछनीय ध्वनि है। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य अपने चारों तरफ फैले प्रदूषण के प्रति एक निश्चित सीमा तक सहनशील होता है। मानव के कानों में भी ध्वनि को साधारणतया ग्रहण करने की एक सीमा होती है। इस सीमा से अधिक की ध्वनि जब होने लगती है तो वह कानों को अच्छी नहीं लगती, उसका बुरा प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसे ध्वनि प्रदूषण या शोर कहते हैं। 90 डेसीबल से अधिक ध्वनि, प्रदूषित ध्वनि है। कालान्तर में तेजी के साथ बढ़ते हुए कल–कारखानों के विकास यातायात के बढ़ते अनियमित साधन एवं मनुष्य की बढ़ती आपाधापी में ध्वनि प्रदूषण को जन्म दिया है जिससे मानसिक क्रियाओं में विघ्न उत्पन्न होने लगा है। यह तीव्र ध्वनि सीधे मनुष्य के शरीर को कुप्रभावित करती है। यदि निश्चित अवधि में इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो 2050 तक होने वाले भावी दुष्प्रभावों का दायित्व वर्तमान पीढ़ी पर होगा।

ध्वनि प्रदूषण के मानवीय स्त्रोतः

वायुयान से होने वाला शोर, मोटर वाहनों के हार्न से होने वाला शोर, रेलगाड़ियों की सीटी की आवाजें, कल–कारखानों की मशीनों से होने वाला शोर, बैण्ड बाजों की धुनें, लाउडस्पीकर की आवाजें, मोबाइल, टेलीफोन की घंटी की आवाजें, रेडियो, टेपरिकार्डों एवं टेलीविजनों की आवाजें, सुख–सुविधा के लिए घरों में एवं घरों के बाहर उपयोग की जाने वाली मशीनों की आवाजें, टाइपराइटर की खड़खड़ाहट आदि।

ध्वनि प्रदूषण के प्राकृतिक स्त्रोतः

बिजली की कड़कड़ाहट, बादलों की गड़गड़ाहट, तीव्र हवाएं, ऊँचे स्थानों से गिरते हुए जल, आँधी, तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप आदि ध्वनि प्रदूषण के प्राकृतिक स्त्रोत हैं।

शोर का मानव जीवन पर दुश्प्रभावः

अधिकतर देशों में ध्वनि की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 75 से 85 डेसीबल निर्धारित की गयी है। इससे अधिक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। 150 डेसीबल प्रबलता वाली ध्वनि एक ही बार में मनुष्य को बहरा कर सकती है। 155 डेसीबल की ध्वनि त्वचा को जला सकती है और 185 डेसीबल की ध्वनि से मृत्यु हो सकती है। शोर के बारे में यह कहना उचित होगा कि शोर मनुष्य को समय से पूर्व बूढ़ा कर देता है। अधिक शोर में जो बात हम किसी को सुनाना चाहते हैं वह सुन नहीं पाते। और जो बात सुनना चाहते हैं वह सुन नहीं पाते, परिणामस्वरूप झुंझलाहट बढ़ती है। शोर से सबसे अधिक तकलीफ कानों को होती है। क्योंकि जब लगातार शोर होता रहता है तो कानों को आराम नहीं मिलता। शोरग्रस्त स्थानों में लगातार अधिक समय से रहने से अंषतः या पूर्णतः श्रवण शक्ति प्रभावित होती है। 80 डेसीबल से अधिक की ध्वनि श्रवण शक्ति को स्थायी रूप से हानि पहुंचा सकती है। अर्थात मनुष्य को बहरा कर सकती है। ध्वनि प्रदूशण से केवल श्रवण शक्ति ही प्रभावित नहीं होती बल्कि नींद में भी व्यवधान पड़ता है। इससे मानव ही नहीं पशु–पक्षी भी प्रभावित होते हैं। इससे झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन एवं थकान बढ़ती है जिससे हारमोन्स सम्बन्धी परिवर्तन, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग मांस–पेशियों में खिंचाव, मानसिक तनाव एवं अल्सर जैसे पेट के रोगियों की संख्या विश्व के शोरग्रस्त

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में निरंतर बढ़ती जा रही है। ध्वनि प्रदूषण से माता के गर्भ में पलने वाला बच्चा भी प्रभावित होता है। वह इससे विकलांग तक हो सकता है। शोर से हृदय, तंत्रिका तंत्र एवं पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है। आकस्मिक तीव्र ध्वनि से शरीर तंत्र लगभग अनियंत्रित हो जाता है। शोर से त्वचा पीली पड़ सकती है, आंखों की पुतलियां फैल सकती हैं, आंखें बन्द होने लगती हैं, वाहिनियां संकुचित होने लगती हैं, रक्तचाप परिवर्तित होने लगता है, हृदय गति बढ़ जाती है, आहार नली में गड़बड़ी पैदा हो जाती है, मांस–पेशियों में तनाव बढ़ जाता है, सर दर्द होने लगता है, जी मिचलाने लगता है, बेहोशी आने लगती है, घबराहट होने लगती है और शरीर की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। तीव्र स्वर हमें अन्धा बना सकता है क्योंकि नेत्रों तक जाने वाली तंत्रिका का सम्बन्ध कानों से होता है। ध्वनि प्रदूषण से गुर्दे तक खराब हो सकते हैं, मानसिक बीमारियां तक हो सकती हैं। वातावरण की गति में शोर की तीव्रता प्रत्येक दस वर्षों में दुगुनी होती जा रही है। यदि शोर विगत 50 वर्षों की तरह भविष्य में भी बढ़ती तो मानव के लिए नहीं वरन् समस्त जैविक समुदाय के लिए घातक एवं बुरे परिणाम होंगे। दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर आदि शहरों में ध्वनि प्रदूशण लगातार वाहनों की संख्या बढ़ने से शोर में तब्दील कर दिया है। सभी प्रमुख शहरों में ध्वनि प्रदूशण की तीव्रता निर्धारित मानक के स्तर को भी पार कर गई है। किसी जमाने में तांगों का शहर कहे जाने वाला लखनऊ में हर तरफ वाहनों का शोर व धुंआ है। वाहनों में प्रेशर हार्न तथा हूटर लग गये हैं जिसके कारण आवाज लोगों को बहरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और वाहनों की संख्या बढ़ने से राजधानी को शोर की नगरी में तब्दील कर दिया है। होली–दीवाली में पटाखों का शोर खतरनाक रोग पैदा करता है। अधिक तेज धमाकों से आंख, नाक और कान की बीमारी हो सकती है। कान की नस फट सकती है, पटाखों की चिनगारियों से अन्धापन, आवाज से बहरापन, घबराहट, मानसिक तनाव और खून का दबाव बढ़ सकता है। आमतौर पर शोर प्रभाव तुरंत न होकर बाद में किसी बीमारी की शक्ल में हो सकता है। छोटे बच्चे एलर्जी, दमा का शिकार हो सकते हैं। शोर प्रदूषण से आदमी में चिड़चिड़ापन और झुंझलाहट पैदा हो जाती है। मानव दिमाग की बारह नसों में से एक द्वारा सुनायी देता है जिसे स्वर तंत्रिका कहते हैं। स्वर तंत्रिका पर तेज स्वर के प्रभाव से आदमी की सुनने की शक्ति कम एवं अधिक प्रभावित होती है। ध्वनि प्रदूषण के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानव ही दोशी है। पर्यावरण पर ध्वनि प्रदूषण से अत्यधिक कम्पन होता है। जलवायु, मौसम पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।

ध्वनि प्रदूषण रोकने के उपाय:

ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भौतिकवादी जीवनशैली का परित्याग करना पड़ेगा। एशो आराम की जिंदगी त्यागनी पड़ेगी। यद्यपि ध्वनि प्रदूषण जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता किंतु उसे कुछ सीमा तक नियंत्रित अवश्य किया जा सकता है। निर्धारित सीमा से अधिक शोर उत्पन्न करने वाले मोटरों, ट्रकों आदि को शहर के मुख्य मार्ग एवं आवासीय क्षेत्रों से निकलने पर प्रतिबंध लगाया जाना, मोटरों के इंजनों एवं मोटर में ऐसे हार्न लगाए जाएं जिससे कम से कम शोर हो। आवश्यक परिस्थितियों में हार्न बजाएं अनावश्यक हार्न न बजाएं, कल–कारखानों को शहर एवं आवासीय बस्तियों के बाहर स्थापित करने की अनुमति दी जाए, कल–कारखानों एवं उद्योगों में मशीनों का रख–रखाव बिल्कुल ठीक रखा जाए, जिससे शोर को कम किया जा सकता है। वृक्षारोपण के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। प्राचीन काल से सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करके ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता था।

न्यायिक निर्णय

बड़ा बाजार फायर वर्क्स डीलर्स एसोसिएशन बनाम कमिष्नर ऑफ पुलिस, कलकत्ता एवं अन्य[1] के मामले में यह मत व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को अनुच्छेद 21 के साथ पढ़ने पर नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में शान्तिपूर्वक रहने रात में सोने एवं इत्मीनान से रहने, जो कि अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्याभूत जीने के अधिकार के आवश्यक तत्व हैं, प्राप्त हैं।

उच्चतम न्यायालय**इनरिः न्वाइस पॉल्यूशन(विद फोरम, प्रिवेन्शन आफ इन्वायरमेन्ट एण्ड साउण्ड पॉल्यूशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया**[2]) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन के अधिकार के अन्तर्गत ध्वनि प्रदूषण से स्वतन्त्रता का अधिकार शामिल है। प्रदूशक अनुच्छेद 19(1) (क) द्वारा प्रदत्त भाषण अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अधिकार का आश्रय नहीं ले सकता, चूंकि यह पूर्ण अधिकार नहीं है।

चेयरमैन, गुरूवायूर देवास्वाय मैनेजिंग कमेटी, गुरूवायूर बनाम सुपरिटेंडेंट आफ पुलिस त्रिसूर एवं अन्य[3] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि हार्नटाइप माइकों के उपयोग पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता। यदि उनसे ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। इस वाद के संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित थे:

गुरूवायूर के मन्दिर के परिसर में मन्दिर प्रबन्ध कमेटी द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने और दर्शन करने के लिये आने वाले यात्रियों को नियन्त्रित करने के लिये हार्नटाइप माइक लगाए गए थे। पुलिस अधीक्षक त्रिसूर द्वारा ऐसे माइकों के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। उच्च न्यायालय में

1 ए0 आई0 आर0 1998 कलकत्ता 121
2 ए0 आई0 आर0 2005 एस0 सी0 3036
3 ए0 आई0 आर0 1998 केरल 122

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

पुलिस अधीक्षक के आदेश को अवैध घोषित कर दिया क्योंकि केरल प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार मन्दिर में लगाए गए हार्नटाइप माइकों से कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं होता था।

मौलाना मुफ्ती सैय्यद, मो0 नुरूर रहमान बरकाटी एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एण्ड अदर्स[4] के बाद में निर्धारित किया कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) के अधीन नागरिकों को ध्वनि प्रदूषण के विरूद्ध सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अजान के समय लाउडस्पीकरों के वक्त माइक्रोफोन पर प्रतिबन्ध लगाना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 का उल्लंघन नहीं करता। न्यायालय के अनुसार अजान निश्चित रूप से इस्लाम का आवश्यक एवं अभिन्न अंग है परन्तु लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन का आवाज के लिए उपयोग करना आवश्यक नहीं है। माइक्रोफोन तकनीक आधुनिक युग की देन है। इसका स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह प्रदूषण का केवल स्त्रोत ही नहीं है अपितु इससे बहुत स्वास्थ्य परिसंकट कारित होते हैं। परंपरागत रूप से तथा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अजान इमाम या मस्जिद प्रभारी द्वारा अपनी आवाज में दी जाती है। अजान प्रचार का माध्यम नहीं है बल्कि इबादत या प्रार्थना करने का एक ढंग है। न्यायालय के अनुसार अग्निशमन यंत्र, लाउडस्पीकर, हवाई जहाज और रेलवे सभी तकनीक युग की देन हैं। इससे होने वाला ध्वनि प्रदूषण से श्रवण शक्ति नष्ट हो जाती है। विश्व के करोड़ों लोग इस प्रकार की ध्वनि प्रदूषण से अपनी श्रवण शक्ति खो चुके हैं। शोर से नींद उड़ जाती है और देश में लोगों को शान्ति पूर्वक सोने का अधिकार है। सोने का अधिकार न केवल मूल अधिकार है बल्कि प्राथमिक मानवाधिकार भी है। इसके लिये अजान के समय लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन पर प्रतिबन्ध लगाना अवैध नहीं है।

फ्री लीगल एण्ड सेल बनाम गर्वमेंट ऑफ एन0सी0टी0 ऑफ डेलही[5] के वाद में दिल्ली उच्च न्यायालय में उपर्युक्त संघ द्वारा एक जनहित याचिका फाइल की गयी। जिसके द्वारा यह षिकायत की गयी कि आतिशबाजी के प्रदर्षन और शादी–ब्याह, तीज–त्यौहारों के दौरान आतिशबाजी का उपयोग किए जाने के कारण बच्चों, बड़ों सभी को मानसिक और शारीरिक कष्ट होता है। ऊँची ध्वनि वाली आतिशबाजी से परिसंकट भय या खतरनाक

जिससे नागरिकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जिस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है वह जनसामान्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया ध्वनि प्रदूषण होता है। यह भी कहा गया है कि लाउडस्पीकरों का जिस प्रकार अंधाधुंध उपयोग हो रहा है उससे होने वाला ध्वनि प्रदूषण रोज की बात हो गयी है। कि जहां पर शोर न्यूसेन्स से तुल्य हो वहां उससे पीड़ित व्यक्ति व्यादेश का दावा कर सकता है। न्यायालय के अनुसार ध्वनि प्रदूषण पर जो प्रभाव पड़ा है उस पर न्यायपालिका को अभी पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाना है। ध्वनि प्रदूषण पर्यावरण का ऐसा दोषपूर्ण प्रदूषण है जो कि व्यक्ति के अधिकार को सारभूत रूप में क्षति पहुंचाता है। शोर पर्यावरण को संदूशित करता है। न्यूसेन्स कारित करता है। और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालता है। इसके लिए इसे प्रदूषक की संज्ञा दी जा सकती है। अतः युक्तियुक्त सीमा से अधिक शोर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण करता है।

चर्च आफ गाड (फुल गास्पेल) इन इण्डिया बनाम के0 के0 आर मैजेस्टिक कालोनी वेलफेयर एसोसिएशन एवं अन्य[6] का वाद एक उपर्युक्त उदाहरण है:

अपीलार्थी चर्च का एक प्रार्थना हॉल था जिसमें ऐसे वाद्य यंत्रों पर प्रार्थना होती थी जिससे उस क्षेत्र में वाहनों से भी अधिक प्रदूषण होता था। वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा चर्च द्वारा किए जा रहे ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी। उच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूशण करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही करने का आदश देते हुए चर्च से यह अपेक्षा की कि यदि चर्च द्वारा निर्धारित डेसीबल से अधिक ध्वनि होती है तो चर्च अपने स्पीकरों की आवाज धीमी रखे। चर्च द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील की गयी। अपील में उच्चतम न्यायालय को विचार करना था कि क्या कोई व्यक्ति विषेश समुदाय या धर्म के आधार पर ध्वनि प्रदूषण करने के अधिकार का दावा कर सकता है अथवा क्या किसी धर्म अथवा सम्प्रदाय को धर्म के नाम पर ढोल बजाने एवं लाउडस्पीकर पर प्रार्थना करके पड़ोसियों की षांति भंग करने की इजाजत दी जा सकती है?न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दुनिया का ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो इस बात की स्वीकृति देता हो कि धार्मिक प्रार्थनाएं दूसरे व्यक्ति की शांति को भंग करके की जाए अथवा ढोल ताशा बजाकर जो लाउडस्पीकर के माध्यम से शोरगुल करके की जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात को स्पष्ट करते हुए आगे यह भी कहा कि किसी भी सभ्य समाज में ऐसे क्रिया कलाप जो वृद्धों अथवा अशक्त व्यक्तियों को विद्यार्थियों अथवा बच्चों की समय पर नींद खराब करते हों अथवा दिन के समय बाधा डालते हों अथवा अन्य क्रिया कलाप करने वाले अन्य व्यक्तियों को स्वीकृति नहीं दी जा सकती। इस बात को भी नहीं भुलाया जा सकता कि पड़ोसी के छोटे शिशु शांतिपूर्ण वातावरण में सोने की अपनी प्राकृतिक अधिकार का आनन्द लेने के हकदार हैं। अपनी परीक्षा की तैयारी करने वाला कोई विद्यार्थी अपने पड़ोसी द्वारा बिना किसी अनावश्यक व्यवधान के परीक्षा की तैयारी करने का

4 ए0 आई0 आर0 1999 कलकत्ता 15 और भी देखें बड़ा बाजार फायर वर्क्स डीलर्स एसोसिएषन बनाम कमिष्नर ऑफ पुलिस, कलकत्ता एवं अन्य(1997)2 सी0 एल0 जे0 468

5 ए0 आई0 आर0 2001 डेलही 455

6 ए0 आई0 आर0 2000 एस0 सी0 2773 : (2000) 7 एस0 सी0 सी0 282

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

हकदार होता है। इसी प्रकार से बूढ़े एवं अशक्त व्यक्ति भी अपने अवकाश के समय ध्वनि प्रदूषण के किसी न्यूसेन्स के बिना युक्तियुक्त शांति का आनंद लेने के हकदार हैं। अधिक आयु वाले वृद्ध, बीमार व्यक्ति, मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान व्यक्ति और छह वर्ष की अवस्था वाले बच्चे शोर एवं ध्वनि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। अतः उनके अधिकारों का सम्मान किया जाना अति आवश्यक है। माननीय उच्च न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि आज के युग में शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण के कारण कतिपय शहरों/कस्बों में ध्वनि प्रदूषण सीमा से अधिक बढ़ गया है फिर भी इसे इस बात का आधार नहीं माना जा सकता कि अन्य व्यक्तियों को इस बात की स्वीकृति ने दी जाए कि वे ढोल बजाकर अथवा लाउडस्पीकर ध्वनि विस्तारक आदि यंत्रों का प्रयोग करके ध्वनि प्रदूषण का विस्तार करें।

अनुसूची

(नियम 3 (1) और 4 (1) में)

ध्वनि के सम्बन्ध में परिवेशी वायु क्वालिटी मानक

क्षेत्र का कोड्	क्षेत्र/परिक्षेत्र का प्रवर्ग	डी बी (ए) लैक में सीमा	
		दिन का समय	रात का समय
(क)	औद्योगिक क्षेत्र	75	70
(ख)	वाणिज्यिक क्षेत्र	65	55
(ग)	आवासीय क्षेत्र	55	45
(घ)	शान्त परिक्षेत्र	50	40

उच्चतम न्यायलय ने फोरम प्रिवेन्सन आफ इन्वायरमेन्ट एण्ड साउण्ड पल्यूशन बनाम यूनियन आफ इण्डिया[7] के मामले में नियम 5(3) के अन्तर्गत राज्य सरकार की दी गई षक्ति को युक्तिसंगत माना है। केरल उच्च न्यायलय ने **के0वी0 पविथरन बनाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्स आफ पुलिस कत्रूर एंव अन्य**[8] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है। कि नियम 5 (3) द्वारा प्रदत्त अवधि से अधिक अवधि तक लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि नियम 5 (3), जो कि ध्वनि प्रदूशण (विनियम एंव नियंत्रण)(संषोधन) नियमावली ,2002 (11 अक्टूबर, 2000 से लागू) द्वारा बढ़ाया गया है, उसके बारे में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं—

1. राज्य सरकार रात्रि दस बजे से बारह बजे आधी रात तक लाउडस्पीकर या लोक संबोधन प्रणाली का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान कर सकती है,
2. राज्य सरकार ऐसी अनुमति पूरे वर्श में अधिकतम पन्द्रह दिन के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों पर दे सकती है।
3. राज्य सरकार ऐसी अनुमति देते समय ऐसी शर्तें लगा सकती है जो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आवष्यक है।

किरोड़ी मल विशम्भर दयाल बनाम **राज्य**[9] वाले मामले में अभियुक्त/याची को आवासीय क्षेत्र में भारी मशीनरी चलाकर ध्वनि कारित करने और धुआं तथा कम्पन उत्सर्जित करने के लिये भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 290 के अधीन दोषसिद्ध और दण्डादिष्ट किया गया तथा 50 रुपये जुर्माना किया गया । विचारण न्यायालय के आदेशों की अपील में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुष्टि की गयी। पंजाब–हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी निचले न्यायालयों के विनिश्चयों की पुष्टि की और पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।

भुवनराम एवं अन्य बनाम **विभूति भूषण विश्वास**[10] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि रात्रि में धान की भूसी निकालने वाली मशीन चलाने से ध्वनि न्यूसेंस होता है और अधिभोगी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 290 के अधीन दण्डित किये जाने के लिये दायी है। **इवाउर हेडन** बनाम **आन्ध्र प्रदेश**[11] वाले मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने जोर से रेडियो चलाने के कार्य को इस आधार पर माफ कर दिया कि यह मामूली सी बात थी। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 95 को सावधानीपूर्वक पढ़ने से यह दर्शित होता है कि केवल उस हानि को माफ किया जाता है, जिसकी कि सामान्य मनःस्थिति और समझ वाले व्यक्ति द्वारा शिकायत किये जाने की आशा नहीं की जाती है।

रबीन मुखर्जी बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[12] वाले मामले में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिये न्यायालय द्वारा एयर हॉर्नो के उपयोग को प्रतिषिद्ध कर दिया गया। न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि वातावरण और पर्यावरण विभिन्न स्थानों से उत्सर्जित अन्धाधुन्ध शोर से बहुत अधिक प्रदूषित हो जाता है और शोध करने पर यह पाया गया कि एयरपोर्ट के निकट रह रहे व्यक्ति विभिन्न रोगों के शिकार हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति मानसिक रोग के भी शिकार हो जाते हैं। यह भी पाया गया कि विभिन्न कारखानों में कार्य करने वाले कर्मकार बहरे हो जाते हैं और उन्हें ऊंचा सुनाई देने लगता है। ऐसा शोध करने पर यह भी पाया गया कि इस अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण के परिणामस्वरूप, लोग भूख की कमी, अवसाद मानसिक बेचैनी और अनिद्रा से पीड़ित हो जाते हैं लोगों को अत्यधिक रक्तचाप और हृदय रोग की शिकायत भी हो जाती है। ऐसे इलेक्ट्रिक और एयर हॉर्न के अन्धाधुन्ध और अवैध प्रयोग के कारण ऐसे ध्वनि प्रदूषण के प्रत्यक्ष प्रभाव के प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह स्वीकृत स्थिति है कि वह स्वास्थ्य के लिये हानिकर है और पर्यावरणीय प्रदूषण के

7 ए0 आई0 आर0 2006 एस0 सी0 148.

8 ए0 आई0 आर0 2005 केरल 177.

9 ए0 आई0 आर0 1958 पंजाब 11.

10 ए0आई0आर0 1919 कलकत्ता 539.

11 1984 क्रिमिनल लॉ जनरल (ए0ओ0सी0) 16.

12 –ए0 आई0 आर0 1985 कलकत्ता 222.

विभिन्न कारणों में ध्वनि प्रदूषण ऐसा कारण है जिसका गम्भीर परिणाम होता है।

अप्पा राव एम० एस0बनाम **तमिलनाडु सरकार**[13] वाले मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य में मौजूद अनियन्त्रित ध्वनि प्रदूषण द्वारा कारित लोक व्यवस्था और परिशान्ति में विघ्न और गम्भीर स्वास्थ्य परिसंकट की जानकारी लेते हुये, एम्पलीफायरों और लाउडस्पीकारों के उपयोग हेतु अनुज्ञप्ति जारी किये जाने के लिये कठोर शर्तें अधिरोपित करने हेतु राज्य सरकार को निर्देश देते हुये और हॉर्न टाइप लाउडस्पीकरों और एम्पलीफायरों तथा ऑटोमोबाइलों के एयर हॉर्नों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध अधिरोपित करने के लिये महानिदेशक, पुलिस (विधि और व्यवस्था) को निर्देश देते हुए, परमादेश रिट जारी की।

चरनलाल साहू बनाम **भारत संघ**[14] के वाद में उच्चतम न्यायालय ने पृथक् अधिकरण स्थापित किये जाने और पर्यावरणीय मुद्दों पर सरकार को परामर्श किये जाने की जरूरत पर बल दिया।

इसी प्रकार **एम० सी० मेहता** बनाम **भारत संघ**[15] के वाद में उच्चतम न्यायालय ने ही शिक्षा द्वारा छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरुकता लाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

पीपुल यूनाइटेड फॉर बैटर लिविंग इन कलकत्ता बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[16] वाले मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि किसी भी विकासशील देश में विकास कार्य तो होंगे ही, किन्तु यह विकास जहां तक सम्भव हो पर्यावरण के सामंजस्य में होना चाहिये, क्योंकि अन्यथा विकास तो होगा किन्तु पर्यावरण नहीं रहेगा, जिसके परिणामस्वरूप पूरी बर्बादी होगी, हालांकि उसे अभी महसूस न किया जाये, किन्तु भविष्य में महसूस किया जा सकता है, किन्तु पर्यावरण को नियन्त्रित करने और उसमें सुधार करने के लिये तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वस्तुतः, पर्यावरण के संरक्षण और विकास की प्रक्रिया के बीच समुचित संतुलन होना चाहिए। समाज में सम्पन्नता लानी चाहिए किन्तु ऐसा पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए और इस प्रकार पर्यावरण का संरक्षण किया जाना चाहिए किन्तु समाज के विकास की कीमत पर नहीं और इस प्रकार एक संतुलन खोजा जाना चाहिये और तद्नुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जानी चाहिए।

ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्यिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र षांत परिक्षेत्र की सड़कें अच्छी होती तो ध्वनि और वायु प्रदूषण कम हो जाता। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण करने वाले सरकारी वाहनों और प्राइवेट वाहनों को प्रतिबन्धित किया जाना चाहिए।

सड़कों की गुणवत्ता में कमी होने तथा सही समय पर मरम्मत न होने से भारत में सड़कों की दशा अच्छी नहीं है। सड़कों की दषा सुधार कर ध्वनि प्रदूषण कम किया जा सकता है। सबसे कम ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे साइकिल, रिक्शा और सोलर ऊर्जा युक्त वाहनों का प्रयोग होना चाहिए तथा ई–रिक्शा का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। षहर के मुख्य मार्गों के किनारे आवासीय भवनों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। अन्य प्रदूषणों की भांति ध्वानि प्रदूषण भी औद्योगिकीकरण, नगरीकरण एवं आधुनिक सभ्यता का परिणाम होने के कारण मानव जीवन तथा पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

---

13 (1995) 1 एल0डब्ल्यू0 319 मद्रास.
14 ए0 आई0 आर0 1990 एस0सी0 1480.
15 (2004) एस0सी0सी0 571.
16 (1993)(प) सी0एल0जे0 105.

© RRIJM 2015, All Rights Reserved